बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :— 3/अ0प्र0—1—50/2007 619 /पटना, दिनांक :— 25-2-2020

जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 681 दिनांक 26.10.2007 द्वारा श्री प्रकाश गुप्ता, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, गया के विरूद्ध राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत कार्यान्वित योजना जेठियन घाठी से दरियापुर पथ में गलत मापी दर्ज करने एवं सरकारी राशि का गबन करने के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध थाना प्रभारी, अतरी थाना, गया को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी, गया के उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री गुप्ता को अधिसूचना ज्ञापांक—3846 दिनांक 20.05.2008 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया एवं श्री गुप्ता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 5465 अनु0 दिनांक 04.07.2008 द्वारा तत्समय उनके पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना को अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

2. श्री गुप्ता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में प्रश्नगत् पथ के 4वें किलोमीटर की लम्बाई में फ्लैंक में मिट्टी भराई एवं संपीडन का कार्य बिना कराये गलत मापी के आधार पर विपत्र तैयार कर सरकारी राशि रू० 7,82,005/—गबन करने के प्रयास का आरोप गठित किया गया।

3. श्री गुप्ता से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 19.06.2008 के समीक्षोपरान्त उन्हें अधिसूचना ज्ञापांक—10331 दिनांक 3.12.2008 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

4. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 10402 दिनांक 06.08.2008 द्वारा श्री गुप्ता से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसके आलोक में श्री गुप्ता के पत्रांक शून्य दिनांक 05.01. 2009 द्वारा पथ निर्माण विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। कालान्तर में अभियंताओं के संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप श्री गुप्ता का संवर्ग प्राधिकार ग्रामीण कार्य विभाग हो जाने के कारण पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3285 अनु0 दिनांक 13.04.2015 द्वारा मामले में अग्रेतर कार्रवाई हेतु आरोप से संबंधित कागजात/अभिलेख ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी।

5. श्री गुप्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 05.01.2009 में कहा गया कि उक्त कार्य संबंधित संवेदक द्वारा एकरारनामा के बाद कराया जा रहा था। किये गये कार्य का विपत्र बनाने के उपरान्त उसकी मापी की जॉच की गयी थी और कार्यपालक अभियंता द्वारा जॉच के बाद भुगतान हेतु चेक निर्गत किया गया। जितने कार्य का विपत्र पारित किया गया था, उससे ज्यादा का कार्य संवेदक से कराया गया।

6. श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि जिला पदाधिकारी, गया द्वारा कराये गये जॉच एवं प्राथमिकी के दिये गये आदेश के बाद ही पथ में कार्य कराया गया है। इस प्रकार श्री गुप्ता जॉच के बाद कार्य करा लेने पर आरोप से मुक्त नहीं हो सकते है। स्पष्टतः मामले में बिना कार्य कराये कार्य की मापी पुस्तिका में दर्ज कर सरकारी राशि के गबन का प्रयास परिलक्षित होता है।

7. इस बीच श्री गुप्ता दिनांक 31.12.2016 को सेवानिवृत हो गये। श्री गुप्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत कर उनकी सेवा संतोषजनक नहीं मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन से अगले पॉच वर्षो तक 10 प्रतिशत की कटौती किये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में श्री गुप्ता से विभागीय पत्रांक 1325 दिनांक 08.06.2018 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन से कटौती के बिन्दु पर कारण पृच्छा की गयी।

8. श्री गुप्ता के पत्रांक शून्य दिनांक 28.05.2019 द्वारा बचाव बयान समर्पित करने के पूर्व योजना से संबंधित कई कागजातों/अभिलेखों की मांग की गयी, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक 2423 अनु0 दिनांक 21.08.2019 द्वारा संचिका में संधारित कागजातों की प्रति श्री गुप्ता को कराते हुए अन्य कागजातों को अपने स्तर से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

9. श्री गुप्ता के पत्र दिनांक 28.08.2019, 09.09.2019 एवं 17.09.2019 द्वारा पुनः सारे कागजातो की मांग की गयी । इससे स्पष्ट है कि श्री गुप्ता बचाव बयान समर्पित करने में टाल–मटोल कर रहें हैं तथा उन्हें आरोप के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

10. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री प्रकाश गुप्ता, तदेन सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन से अगले पांच वर्षो तक 10 प्रतिशत की कटौती किये जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

अतः श्री प्रकाश गुप्ता, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, गया सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन से अगले पांच वर्षो तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है। श्री गुप्ता के निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, परन्तु यह अवधि अन्य प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी, के रूप में विनियमित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/2/2020

(मनोज कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–50/2007 620 /पटना, दिनांक :–25-2-2020

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, गजट वित्त विभाग, बिहार ,पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी० डी० के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
24/2/2020

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–50/2007 620 /पटना, दिनांक :– 25-2-2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, शिवहर को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2020

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–50/2007 620 /पटना, दिनांक :– 25-2-2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप सचिव (लेखा प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/अपर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, गया/सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर/गया/ प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री प्रकाश गुप्ता, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, गया सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता:–मोहल्ला–मालगोदाम, पोस्ट–नवादा, जिला–नवादा, राज्य–बिहार, पिन कोड–805110/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

24/2/2020